परिपत्र संख्याः-डीजी- 62 /2013

देवराज नागर
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः नवम्बर 14,2013

विषयः लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय,

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून **"लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from sexual offences Act 2012(POCSO)"** लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवम्बर 2012 से पूरे देश में प्रभावी है।

"लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012" (POCSO) में 18 वर्ष से कम आंयु के बालक/बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। यह अधिनियम बच्चों(बालक/बालिकाओं) को सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, गंभीर लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण/हिंसा, लैगिक प्रताड़ना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील टिप्पणियां एवं गालियां देना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं बच्चों की खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न/शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करता है।

बढ़ते लैंगिक अपराध की रोकथाम एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए **"लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012"**(POCSO) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में पुलिस महानिदेशक द्वारा पत्र संख्या डीजी-सात-एस-3(23)2012 दिनांक 13.1.2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इस परिपत्र के माध्यम से POCSO के अन्तर्गत की जाने वाली मुख्य कार्यवाहियों को इंगित किया जा रहा है। POCSO के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक मामले में निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. जब बच्चों के विरूद्ध घटित लैंगिक अपराध या अपराध होने की आशंका के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन या चाइल्ड हैल्प लाइन(1098) पर फोन अथवा किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होती है तो जिले के पुलिस नियन्त्रण कक्ष पर नियुक्त अधिकारी या थाने के अधिकारी, उक्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुए बिना बिलम्ब किये घटनास्थल पर पहुँचेगें।
2. बच्चों के विरूद्ध घटित लैंगिक अपराध या अपराध घटित होने की आशंका के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर थाने के ड्यूटी अधिकारी द्वारा सक्रियता से कार्य किया जायेगा और तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। अभियोग पंजीकरण में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त भा0द0वि0, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आदि के प्रासंगिक प्राविधानों को भी जोड़ा जायेगा।
3. बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध घटित होने या करने की आशंका के सम्बन्ध में मीडिया, होटल/सराय के मालिक या उनमें कार्यरत व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना है और

वह व्यक्ति सम्बन्धित थाने को उस सूचना नहीं देता है तो अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है।

4. किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने की आशय से इस अधिनियम के अन्तर्गत झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले के विरूद्ध अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है।

5. **थाने पर सूचना प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत न करने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।**

6. यदि अपराध की सूचना बच्चे के द्वारा दी जाती है तो सूचना का अभिलेखीकरण सरल भाषा में किया जायेगा जो बच्चे की समझ में आ सके। आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक का उपयोग भी किया जायेगा।

7. नियम 4(2)(क) के क्रम में सूचना प्राप्त करने वाला पुलिस अधिकारी अपना नाम, पदनाम, पता एवं पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण से शिकायत करने वाले व्यक्ति को अवगत करायेगा।

8. शिकायत करने वाले व्यक्ति को तत्काल एफ0आई0आर0 की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

9. बच्चे के साथ अपराध होने की सूचना मिलने पर बच्चे के परिजनों या अन्य किसी व्यक्ति जिसपर बच्चा विश्वास करता हो, उसको सूचित किया जायेगा।

10. अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा कि उन्हें कानूनी सलाह लेने का अधिकार है।

11. <u>बयान दर्ज करने की प्रक्रियाः-</u>

   i. पीड़ित बच्चे के बयान उसके घर या जहॉ पर बच्चा स्वयं को सहज महसूस करे वहॉ उसके परिजनों या अन्य किसी व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, उसकी उपस्थित में दर्ज किया जायेगा। यथासम्भव यह बयान महिला उप निरीक्षक द्वारा लिया जाना चाहिए।

   ii. बयान लेते वक्त पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेंगे।

   iii. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बयान दर्ज करते समय या किसी अन्य दशा में, जब तक शिनाख्त के लिए आवश्यक न हो, अभियुक्त को बच्चे के सामने या सम्पर्क में नहीं आने दिया जायेगा।

   iv. पीड़ित बच्चे के बयान लेते समय सभी प्रासंगिक पहुलओं को सम्मिलित किया जायेगा तथा बच्चे के द्वारा दिये गये बयान को अक्षरशः दर्ज किया जायेगा। आवश्यक हो तो अनुवादक का प्रयोग किया जायेगा।

   v. सभी प्रकरणों में आडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जायेगी।

   vi. शारीरिक/मानसिक विकलांग बच्चों के मामले में आवश्यक सहायता हेतु अधिनियम की धारा 23(3) के क्रम में सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एंव बाल कल्याण विभाग) के सहयोग से विशेष शिक्षक/परामर्शदाता/ अनुवादक/विशेषज्ञ की सेवाएं ली जायेंगी।

   vii. जहॉ अपराध परिवार के सदस्य द्वारा किया गया है या उनकी संलिप्तता पायी जाती है, वहां पीड़ित के बयान एवं कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

viii. किसी भी स्थिति में बच्चे के बयान या कार्यवाही के दौरान बच्चे से सवाल जवाब में दबाव नहीं दिया जायेगा जिसके लिए बच्चा तैयार नही है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का नैतिक निर्णय न थोपा जाय जिससे की वह स्वयं को दोषी या दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार महसूस करे।

ix. शिकायत दर्ज करते समय अथवा जॉच के दौरान किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग नहीं किया जायगा।

x. बयान लेने के लिये अथवा अन्य किसी भी दशा में बच्चे को रात में थाने में नहीं रोका जायेगा।

xi. बच्चे की पहचान का किसी भी दशा में खुलासा नहीं किया जाएगा। न्यायालय की अनुमति के बिना यदि मीडिया या पुलिस द्वारा पीड़ित बच्चे की पहचान या प्रकरण का खुलासा किया जाता है तो अधिनियम की धारा 23(4) एवं किशोर न्याय अधिनियम-2000 की धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

xii. यदि पीड़ित बच्चे के द0प्र0सं0 164 के अन्तर्गत बयान सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष कराया जाना आवश्यक हैं तो जॉच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मामले के पंजीकरण के 30 दिवस के अन्दर पीड़ित बच्चे के परिजनों या अन्य किसी व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, उसकी उपस्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराये जायेंगे।

xiii. जॉच अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग हेतु समर्थ व्यक्ति, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकार विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चाइल्ड लाइन अथवा अनुभवी स्वैच्छिक संगठन से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इनकी सूची जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा SJPU को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. अधिनियम की धारा 19(6) के अन्तर्गत थाने के अधिकारी द्वारा 24 घन्टे के भीतर अपराध की सूचना सम्बन्धित बाल कल्याण समिति और अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अधिकृत विशेष न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

13. <u>मेडिकल परीक्षणः-</u>

A. जॉच अधिकारी पीड़ित बच्चे को चिकित्या जॉच के लिए जहॉ तक सम्भव हो महिला पुलिस अधिकारी के सहयोग से सम्बन्धित चिकित्सालय में लेकर जायेगा। उक्त जॉच नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या द0प्र0सं0 164(ए) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार घटना के 24 घन्टे के अन्दर सम्पादित की जायेगी।

B. चिकित्सा जॉच के दौरान पीड़ित बच्चे के परिजन या अन्य किसी व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, वह उपस्थिति रहेगा। उनके उपलब्ध न होने पर अस्पताल द्वारा नामित महिला की उपस्थिति में मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा।

C. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, पुलिस की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित बच्चे के साथ हुई घटना का विस्तृत विवरण दर्ज करेगा। आवश्यकतानुसार पीड़ित का डी0एन0ए0 परीक्षण भी कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

D. जॉच अधिकारी द्वारा अविलम्ब पीड़ित बच्चे के कपड़े, घटनास्थल व मेडिकल के दौरान एकत्रित भौतिक साक्ष्य फारेंसिंक जॉच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित किया

जायेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राथमिकता के आधार पर सबूतों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सम्बन्धित जॉच अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

14. <u>बच्चे को सरंक्षण की आवश्यकता:-</u>

A. बच्चों के विरूद्ध घटित लैंगिक अपराध या अपराध घटित होने की आशंका के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत में यदि परिवार या संयुक्त परिवार का कोई व्यक्ति या देखभाल करने वाला व्यक्ति अथवा किसी संस्था का कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है। ऐसी दशा में यदि जॉच अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि बच्चे को उससे पृथक रखा जाए तो वह 24 घन्टे के भीतर सम्बन्धित बाल कल्याण समिति को लिखित कारणों के साथ विस्तृत मूल्यांकन करने हेतु अनुरोध करेगा।

B. ऐसे प्रकरणो में बाल कल्याण समिति पीड़ित बच्चे के सम्बन्ध 03 दिवस के अन्दर आवश्यक निर्णय लेकर समर्थ व्यक्ति नियुक्त करेगी जो पूरे प्रकरण के दौरान पीड़ित बच्चे को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। जॉच अधिकारी इसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित करेगा तथा समस्त कार्यवाही में पीड़ित बच्चे के साथ समर्थ व्यक्ति मौजूद रहेगा।

15. बच्चो के विरूद्ध लैगिंक अपराधो में आरोपित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (विधि का उल्लंघन करने वाले) के सभी मामलों की कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 एंव संगत नियम 2007 के अनुसार ही की जायेगी।

16. पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को लैगिंक अपराध में आरोपित व्यक्तियों द्वारा डराये अथवा धमकाये जाने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 504/506 के अन्तर्गत नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

17. बच्चों के लैगिंक शोषण हेतु तस्करी अथवा खरीद फरोख्त की सूचना मिलने पर अवैध मानव व्यपहरण यूनिट/विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। तस्करी अथवा खरीद फरोख्त में लिप्त सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अतिरिक्त जे0जे0 एक्ट, इप्टा, भा0द0सं0 की प्रासंगिक धाराएं भी लगायी जायेंगी।

18. नियम 4(11) के अनुसार सम्बन्धित जॉच अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को समय-समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, जमानत, चालान तथा न्यायालय में प्रकरण की स्थिति एवं सजा से अवगत कराया जायेगा।

19. जॉच अधिकारी, पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई में नियुक्त विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अथवा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु समन्वय स्थापित करेगा।

20. केन्द्र या राज्य सरकार की यदि कोई पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना हो तो उस योजना के अन्तर्गत पीड़ित प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के प्राविधानों से जॉच अधिकारी द्वारा बच्चे या उसके परिजनों को अवगत करायेगा।

21. जनपदस्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई में बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध (बालक अथवा बालिका) के मामले भी संधारित किये जायेगे। समस्त थानाध्यक्षों द्वारा बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित माह में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट जिला स्तर पर गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रेषित की जायेगी।

मै अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय। उचित होगा कि जनपद में एक कार्यशाला आयोजित करके सभी अधिकारी व कर्मचारियों को इस परिपत्र में निर्गत निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दिया जाए।

14-11-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उ0प्र0।(नाम से)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 को कृपया सूचनार्थ।